न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/13

1. अरूण कुमार
2. राजेन्द्र कुमार
3. प्रवीण कुमार पिसरान श्री शिखर चन्द जाति महाजन निवासीगण ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. प्रेम कुमारी
5. अनिता कुमारी
6. सुनिता कुमारी पत्रियॉ श्री शिखर चन्द जाति महाजन निवासीगण ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. सुमित्रा बेवा श्री शिखरचन्द जाति महाजन ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल आत्मज भंवर लाल माली जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. रामकरण भंवर लाल माली जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. धनराज भंवर लाल माली जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. म्हावीर भंवर लाल माली जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. मुकेश पिसरान स्व0 भंवर लाल जाति माली निवासीगण ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हुकुम चन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 व 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम इटावा में खाता संख्या 145 में खसरा नम्बर 170 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.34 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 1.73 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि बन्दोबस्त जमाबन्दी संवत् 2015 से 2024 में खाता संख्या 500 में कॉलम संख्या 03 में माफी खेल भराई पटेल किशनलाल, भंवर लाल व रतनलाल एवं बालमुकुन्द रिज्यूम दिनांक 01.07.1958 अंकित है । उक्त भूमि माफी खेल भराई की भूमि थी जिसे तत्कालीन पटेलान ने वादीगण के पूर्वजों को खेल भरने के एवज में खातेदारान अनुबन्ध की थी । उक्त भूमि पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से ही शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं । वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी में अंकित नहीं होने से वादीगण को ऋण प्राप्त करने, भू–सुधार करने आदि कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से खेल भराई की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 1.73 हैक्टर भूमि का रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 को खातेदार घोषित किया है जबकि आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर अपीलान्टगण के खातेदारी की भूमि है तथा परीक्षण न्यायालय ने उक्त भूमि का अपीलान्टगण को खातेदार घोषित किया हुआ है । भू–प्रबन्ध विभाग की त्रुटि के विरूद्ध अपीलान्ट का वाद सन् 2012 से पूर्व होने पर भी परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना वादीगण रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किया गया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि खेल भराई की विपेज सर्विस ग्रान्ट की भूमि है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्टगण प्रभावित पक्षकार हैं तथा प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्टगण के द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर के खातेदार है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्टगण के हित प्रभावित हुए हैं वे प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण ने स्वयं को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर का खातेदार होना बताया है । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया था । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण प्रभावित पक्षकार है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एंव डिक्री की जानकारी प्राप्त होते ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा खेल भराई की विलेज सर्विस ग्रान्ट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 को खातेदारी अधिकार देने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) के विपरीत रेस्पोडेन्टगण को खातेदारी अधिकार देने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 190 से 193 के विपरीत है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि अपीलान्टगण के खातेदारी की भूमि है तथा परीक्षण न्यायालय ने उक्त भूमि का अपीलान्टगण को खातेदार घोषित किया हुआ है । भू–प्रबन्ध विभाग की त्रुटि के विरूद्ध अपीलान्ट का वाद सन् 2012 से पूर्व ही जैरकार होने पर भी परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना वादीगण रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किया गया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्टगण प्रभावित पक्षकार हैं तथा प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया था । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2015 से 2025 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम इटावा की आराजी खसरा नम्बर 07 की रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 की रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 की रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 196 की रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 04 की रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि माफी खेल भराई पटेल किशनलाल व भंवर लाल के खाते में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 2 संलग्न है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2041 से 2060 प्रदर्श– 3 संलग्न हे जिसके अनुसार खसरा नम्बर 170 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 2.23 हैक्टर भूमि खेल भराई बजरंग लाल, माधो लाल पुत्र किशनलाल, भंवर लाल, रतनलाल, बालमुकुन्द के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 प्रदर्श– 4 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 170 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 1.73 हैक्टर भूमि खेल भराई बजरंगलाल, माधो लाल पुत्र किशनलाल, भंवरलाल, रतनलाल, बालमुकुन्द के खाते में दर्ज है ।

14. अपीलान्टगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में ग्राम इटावा की आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 137/2010 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.02.2018 को वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर का खातेदार घोषित किया गया है । उक्त निर्णयानुसार अपीलान्टगण आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर के खातेदार हैं । अपीलान्टगण के वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर में हित–निहित है और उन्हें बिना पक्षकार बनाये परीक्षण न्यायालय ने दावा वादीगण डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है । साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) एवं धारा 190 से 193 को सपठित करते हुए जो आपत्ति अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उठाई गई है इस बिन्दु पर भी परीक्षण न्यायालय सम्पूर्ण रिकॉर्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर निस्तारण करें । अतः हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2017 निरस्त जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 25.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा